राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(213) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी/अभि./तक. अनु. समिति/2018–19 जयपुर, दि. 13 दिसम्बर, 2019

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं राज्य नोडल अधिकारी(पीएमएवाई), ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 को आहुत की गई। बैठक में मुख्यालय स्तर के अधिकारी ,संभाग स्तरीय जिलों के अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद् द्वारा भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

बैठक में एजेण्डा बिन्दुवार विस्तृत चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है :–

1. **निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र IWMS में सम्मिलित करने के क्रम में उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्णता प्रमाण पत्र में डिस्पेच नंबर व दिनांक दर्ज करने के प्रावधान पर चर्चा:–**

   जिन योजनाओ में सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र तैयार कर समायोजन हेतु अग्रेषित किये जाने का प्रावधान है, उन योजनाओं में समस्त उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन से जारी करने पर वैद्य माने जायेगें। इन प्रमाण–पत्रों पर पृथक से डिस्पेच नम्बर व दिनांक अंकित करना आवश्यक नहीं है।

2. **जिला/पंचायत समिति पर स्थापित प्रयोगशाला की कियाशीलता, प्रयोगशाला में प्राप्त सेंपलों का विवरण, प्रयोगशाला से किये गए परीक्षण/जाँच रिपोर्ट आदि की प्रगति समीक्षा के संबंध में चर्चा :–**

   निर्माण कार्यों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में सभी जिलों/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के आदेश हैं। इस क्रम में कार्यकारी संस्थाओं द्वारा संपादित/प्रगतिरत निर्माण कार्यों के सेंपलों की गुणवत्ता/जाँच कराकर, तद्नानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं। अधिशाषी अभियंताओं द्वारा पंचायत समिति/जिला स्तर पर सेंपलों की टेस्टिंग करने हेतु लिए जाने वाले शुल्क के बारे में जानकारी चाही गयी। इस बाबत् निर्णय लिया गया कि विभिन्न परीक्षणों का शुल्क का निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति के स्तर से की सकेगी। प्रत्येक कार्य का सेंपल, जिसका परीक्षण किया जाना है, की शुल्क राशि राजकोष में जमा करवाकर रसीद दिया जाना अनिवार्य होगी एवं तद्नानुसार रिकोर्ड संधारित किया जावेगा।

   इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायत समिति/जिला परिषद में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु जिन भी अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता हो तो जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला दर निर्धारण समिति की बैठक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत स्थापित किये जावे।

3. **गत तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 24.9.2019 के निर्णय बिन्दु संख्या– 1 के क्रम में उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र के संशोधित प्रारूप पर चर्चा (ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के परिशिष्ट–17 को संशोधित करना एवं परिशिष्ट–18,19 व 20 को विलोपित करना):–**

बैठक में चर्चा के दौरान अधिशाषी अभियंताओं द्वारा निवेदन किया गया कि पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रारूप, वर्ष के मध्य बदले जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अतः कोई भी नया प्रारूप अगले वर्ष 1 अप्रैल से ही लागू किया जाना उचित होगा। इस बाबत् यह निर्णय किया गया कि वर्तमान में प्रचलित उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रारूप ही काम में लिया जाएगा। अन्य बदलाव हेतु प्रस्ताव पर चर्चा आगामी तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक में की जाएगी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा एवं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
6. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
7. जिला कलेक्टर, जिला समस्त।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग।
10. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
11. संयुक्त निदेशक, जल ग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग।
12. अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण।
13. अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद, समस्त।
14. प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)